

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्रकरण क्र. 379 / 10

संस्थित दि.: 21 / 06 / 10

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

सत्यपाल सैरयाम पिता झामसिंह सैरयाम, उम्र 26 वर्ष,
जाति गोण्ड, साकिन धीरी, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म0प्र0)

— — — — — आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 27 / 05 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134/187 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 27/05/10 को समय 19:30 बजे, स्थान ग्राम कोयलीखापा, तीरथ गोण्ड के घर के सामने आरक्षी केन्द्र गढ़ी लोकमार्ग पर बजाज सी.टी. 100 मोटरसायकिल वाहन क्रमांक एम.पी.51 बी.9438 को लापरवाही पूर्वक व उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत परमानन्द को उपहति कारित की एवं आरोपी बजाज सी.टी. 100 मोटरसायकिल वाहन क्रमांक एम.पी.51 बी.9438 को बिना अनुज्ञाप्ति के चलाते हुए पाये गये व उक्त वाहन से आहत परमानन्द को टक्कर मारने के उपरान्त आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई और न ही दुर्घटना की सूचना बीमा कर्ता को दी।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राजेन्द्र ने दिनांक 27.05.2010 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी में इस आशय की रिपोर्ट लिखायी थी कि दिनांक 27.05.2010 को शाम 7:30 बजे वह तीरथ गोण्ड के घर के सामने खड़ा था। एक मोटरसायकिल वाला जैतपुरी तरफ से काफी तेज रफ्तार से मोटरसायकिल चलाते हुए लाया और परमानन्द को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे परमानन्द दूर जाकर गिरा और मोटरसायकिल चालक भी गिरा और मोटरसायकिल चालक मोटरसायकिल छोड़कर भाग गया था। मोटरसायकिल नम्बर एम.पी.51 बी.9438 सी.टी. 100 बजाज कम्पनी की थी। परमानन्द को हाथ, मुंह में चोट लगी और खून निकल रहा था। उसने परमानन्द को उठाया और गढ़ी अस्पताल ले गया था। वाहन चालक द्वारा काफी तेज रफ्तार लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने से घटना हुई। घटना गंगाराम धुर्वे ने भी देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में वाहन चालक एम.पी.51 बी.9438 बजाज सी.टी. 100 के चालक धीरी वाला के विरुद्ध अपराध क्रमांक 14/10 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं मोटर व्ही.एक्ट की धारा 134,, 187 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से बजाज सी.टी. 100 मोटरसायकिल वाहन क्रमांक एम.पी.51 बी.9438 जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण

निरन्तर.....02

कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 379 एवं मोटर व्ही.एक्ट की धारा 134/187, 3/181 का अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134/187 का अपराध-विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपी ने दिनांक 27/05/10 को समय 19:30 बजे, स्थान ग्राम कोयलीखापा, तीरथ गोण्ड के घर के सामने आरक्षी केन्द्र गढ़ी लोकमार्ग पर बजाज सी.टी. 100 मोटरसायकिल वाहन क्रमांक एम.पी.51 बी.9438 को लापरवाही पूर्वक व उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- (ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बजाज सिटी 100 मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.51 बी.9438 को लोकमार्ग पर लापरवाही पूर्वक व उपेक्षा से चलाकर आहत परमानन्द को उपहति कारित की ?
- (स) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बजाज सिटी 100 मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.51 बी.9438 को बिना अनुज्ञाप्ति के चलाते हुए पाये गये ?
- (द) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन बजाज सिटी 100 मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.51 बी.9438 को लोकमार्ग पर लापरवाही पूर्वक व उपेक्षा से चलाकर आहत परमानन्द को टक्कर मारने के उपरान्त आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई और नहीं दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को दी ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब' एवं 'स' 'द' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

निरन्तर.....03

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी परमानन्द (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी शाम के 7:00 बजे ग्राम कोयलीखापा की है। वह उसके घर जा रहा था। आरोपी सत्यपाल उसकी मोटरसायकिल से उसका एक्सीडेंट हो गया था। आरोपी मोटरसायकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसे टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर, बांये कन्धे व बांये हाथ, कान पर चोट आई थी और वह बेहोश हो गया था। उसने घटना की रिपोर्ट की थी तथा पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उसे ईलाज के लिए बालाघाट अस्पताल ले गये थे।

(08) फरियादी परमानन्द के कथनों को समर्थन करते हुए गंगाराम (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना उसके कथन एक वर्ष पुरानी शाम 7:00 बजे ग्राम कोयलीखापा लोकमार्ग की है। गाड़ी गिरने की आवाज सुनकर उसने रोड पर जाकर देखा तो परमानन्द तथा आरोपी गिरे हुए थे। परमानन्द के सिर पर चोट लगी थी, पुलिस जांच करने आई थी और घटनास्थल पर मौका नक्शा बनाया था जो प्रदर्श पी-1 है। पुलिस ने उसके सामने मोटरसायकिल जप्त नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(09) अभियोजन साक्षी सुखराम (अ.सा.03) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी।

(10) अभियोजन साक्षी गोविन्दराम (अ.सा.04) का भी कहना है कि पुलिस ने एक्सीडेंट के संबंध में गाड़ी जप्त की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं उसे नहीं मालूम की आरोपी को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(11) अभियोजन साक्षी राजेन्द्र (अ.सा.05) का भी कहना है कि घटना दो साल पुरानी कोयलीखापा की शाम के तीरथ के घर के सामने की है। रोड पर परमानन्द को पीछे से एक मोटरसायकिल वाले ने तेजी से लाकर टक्कर मार दी थी। परमानन्द को बहुत चोट लगी थी उसे अस्पताल ले गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(12) अभियोजन साक्षी झामसिंह (अ.सा.06) का कहना है कि उसके सामने आरोपी से मोटरसायकिल कोयलीखापा में जप्त की थी, जो प्रदर्श पी-3 हैं एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था।

(13) अभियोजन साक्षी आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा.07) का कहना है कि दिनांक 27.05.2010 को उसने आहत परमानन्द का मेडिकल परीक्षण किया था और परीक्षण में उसने निम्न चोटें पायी थी :- चोट क्रमांक -1 एक कटा-फटा घाव सिर के पीछे भाग पर आकार में एक गुनित आधा इंच चमड़ी तक था, घाव से खून बह रहा था। चोट क्रमांक -2 एक कटा-फटा बांये कोहनी पर आकार में आधा इंच गुनित आधा इंच चमड़ी तक था। अभिमत :- उसने मरीज को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किया था। आहत के दाहिने कान के भीतरी भाग में खून निकला रहा था। आहत की नाड़ी की गति

निरन्तर.....04

62 मिनिट आहत को उल्टी हो रही थी। मरीज का ईलाज करने के बाद जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। उक्त चोटे बोथरे वस्तु से होना पाया। उक्त चोट उसके परीक्षण के छः घण्टे के अन्दर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(14) अभियोजन साक्षी राजकुमार हिरकने (अ.सा.08) का कहना है कि दिनांक 27.05.10 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी के अपराध क्रमांक 14/10 धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं 134/187 मोटर व्हीकल एक्ट की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसने विवेचना में तीरथसिंह धुर्वे की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा घटनास्थल ग्राम कोयलीखापा से पंचो के समक्ष एक मोटरसायकिल बजाज सी.टी.100 नम्बर एम.पी.51 बी. 9438 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सत्यपाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से मोटरसायकिल बजाज सी.टी.100 नम्बर एम.पी.51 बी.9438 का रजिस्ट्रेशन एवं बीमा पॉलिसी नेशनल इश्योरेंस कम्पनी की पंचों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने विवेचना में राजेन्द्र, परमानन्द, नायक, गंगाराम धुर्वे के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। आरोपी के पास मोटरसायकिल चलाने का विधिवत् लायसेंस न होने से अभियोग पत्र में धारा 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट बढ़ाई थी।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है। फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिए पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फरियादी स्वयं ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। साक्षी राजेन्द्र का भी स्पष्ट अपने प्रतिपरीक्षण में कहना है कि वह घटनास्थल पर घटना के बाद में गया था। साक्षी गंगाराम ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि वह गाड़ी गिरने की आवाज सुनकर घर से बाहर निकला था तो परमानन्द रोड पर गिरा हुआ था। उसने परमानन्द को उठाया था। उसने प्रतिपरीक्षण में नहीं बताया है कि उसने मोटरसायकिल का नम्बर नहीं बताया था। साक्षी सुखराम ने स्पष्ट कथन किये हैं कि उसको घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहास्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(16) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(17) फरियादी परमानन्द (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी शाम के 7:00 बजे ग्राम कोयलीखापा की है। वह उसके घर जा रहा था। आरोपी सत्यपाल उसकी मोटरसायकिल से उसका एकसीडेंट हो गया था। आरोपी मोटरसायकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसे टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर, बांये कंधे व बांये हाथ, कान पर चोट आई थी और वह बेहोश हो गया था। उसने घटना की रिपोर्ट की थी तथा पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उसे ईलाज के लिए बालाघाट अस्पताल ले गये थे, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण

में यह स्वीकार किया है कि वह दिनांक 27.05.2010 को गढ़ी में नहीं था। बालाघाट अस्पताल में भर्ती था। दिनांक 27.05.2010 को पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही दिनांक 13.06.2010 तक पुलिस ने उससे कोई पूछताछ की। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय राजेन्द्र सिंह उसके साथ में नहीं था। राजेन्द्रसिंह ने दिनांक 27.05.2010 को किस आधार पर रिपोर्ट लिखायी थी। वह नहीं बता सकता। उसने गाड़ी के नम्बर नहीं देखे थे और न ही उसने आरोपी को देखा न ही उसने गाड़ी के नम्बर बताये।

(18) साक्षी गंगाराम (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना उसके कथन एक वर्ष पुरानी शाम 7:00 बजे ग्राम कोयलीखापा लोकमार्ग की है। गाड़ी गिरने की आवाज सुनकर उसने रोड पर जाकर देखा तो परमानन्द तथा आरोपी गिरे हुए थे। परमानन्द के सिर पर चोट लगी थी, पुलिस जांच करने आई थी और घटनास्थल पर मौका नक्शा बनाया था जो प्रदर्श पी-1 है। पुलिस ने उसके सामने मोटरसायकिल जप्त नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने कोई मोटरसायकिल जप्त नहीं की। घर आकर पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाये थे। उसने पुलिस को मोटरसायकिल का नम्बर नहीं बताया था तथा साक्षी सुखराम (अ.सा.03) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार किया है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने प्रदर्श पी-02 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। पुलिस ने उसको पढ़कर नहीं बताया था एवं साक्षी गोविन्दराम (अ.सा.04) का भी कहना है कि पुलिस ने एक्सीडेंट के संबंध में गाड़ी जप्त की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं उसे नहीं मालूम की आरोपी को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-03 पर हस्ताक्षर किये थे तब आरोपी उपस्थिति नहीं था और न ही आरोपी से कोई गाड़ी के कागज जप्त किये थे और न ही उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

(19) साक्षी राजेन्द्र (अ.सा.05) का भी कहना है कि घटना दो साल पुरानी कोयलीखापा की शाम के तीरथ के घर के सामने की है। रोड पर परमानन्द को पीछे से एक मोटरसायकिल वाले ने तेजी से लाकर टक्कर मार दी थी। परमानन्द को बहुत चोट लगी थी उसे अस्पताल ले गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह मौजूद नहीं था। घटना के समय वह घर पर था। उसने पुलिस को गाड़ी का नम्बर नहीं बताया था एवं साक्षी झामसिंह (अ.सा.06) का कहना है कि उसके सामने आरोपी से मोटरसायकिल कोयलीखापा में जप्त की थी, जो प्रदर्श पी-3 हैं एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पुलिस ने थाने में जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी।

(20) अभियोजन साक्षी राजकुमार हिरकने अ.सा.08 एवं अभियोजन साक्षी आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.07 के कथनों एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से परमानन्द

निरन्तर.....06

को एक्सीडेंट में उपहति कारित होने की पुष्टि तो होती है, किन्तु फरियादी परमानन्द एवं साक्षी गंगाराम, सुखराम, गोविन्दराम, राजेन्द्र, झामसिंह के कथनों में विरोधाभास एवं इन साक्षियों के कथनों का भी प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से आरोपी सत्यपाल ने दिनांक 27/05/10 को समय 19:30 बजे, स्थान ग्राम कोयलीखापा, तीरथ गोण्ड के घर के सामने आरक्षी केन्द्र गढ़ी लोकमार्ग पर बजाज सी.टी. 100 मोटरसायकिल वाहन क्रमांक एम.पी.51 बी.9438 को लापरवाही पूर्वक व उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत परमानन्द को उपहति कारित की एवं आरोपी बजाज सी.टी. 100 मोटरसायकिल वाहन क्रमांक एम.पी.51 बी.9438 को बिना अनुज्ञाप्ति के चलाते हुए पाये गये व उक्त वाहन से आहत परमानन्द को टक्कर मारने के उपरान्त आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई और न ही दुर्घटना की सूचना बीमा कर्ता को दी। ऐसा अभियोजन द्वारा साक्षियों के कथनों में स्पष्ट नहीं आया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में भी विरोधाभास है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी परमानन्द, राजेन्द्र, गंगाराम, सुखराम, झामसिंह के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन हुआ है, जिससे अभियोजन का प्रकरण सन्देहास्पद प्रतीत होता है।

(21) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी सत्यपाल ने दिनांक 27/05/10 को समय 19:30 बजे, स्थान ग्राम कोयलीखापा, तीरथ गोण्ड के घर के सामने आरक्षी केन्द्र गढ़ी लोकमार्ग पर बजाज सी.टी. 100 मोटरसायकिल वाहन क्रमांक एम.पी.51 बी.9438 को लापरवाही पूर्वक व उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत परमानन्द को उपहति कारित की एवं आरोपी बजाज सी.टी. 100 मोटरसायकिल वाहन क्रमांक एम.पी.51 बी.9438 को बिना अनुज्ञाप्ति के चलाते हुए पाये गये व उक्त वाहन से आहत परमानन्द को टक्कर मारने के उपरान्त आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई और न ही दुर्घटना की सूचना बीमा कर्ता को दी।

(22) परिणाम स्वरूप आरोपी सत्यपाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134/187 के अन्तर्गत दोषसिद्ध नहीं पाया जाता है। अतः आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है।

(23) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति बजाज सी.टी. 100 मोटरसायकिल वाहन क्रमांक एम.पी.51 बी.9438 सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)